सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हमारे देश के समग्र औद्योगिक क्रिया कलापों में महत्वपूर्ण योगदान देकर रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने में महती भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में कार्यरत 7 करोड़ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग देश में लगभग 12 करोड़ से अधिक रोज़गार के अवसर विभिन्न क्षेत्रों में सृजित कर रहे हैं। स्व-रोज़गार एवं अन्य रोज़गार के अवसर सृजित करने की दिशा में यह क्षेत्र कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक अवसर उपलब्ध करवाता है। इसके अतिरिक्त एमएसएमई के लिए श्रमिक-पूंजी अनुपात भी अत्यधिक है

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र : विकास और रोज़गार के वाहक

अरुण कुमार पांडा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र निरंतर भारत के सकल सार्थक सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रत्येक उद्यम का अपना अलग ही महत्व है क्योंकि यह न केवल स्व-रोज़गार उपलब्ध करा रहा है वरन इसमें दूसरों को रोज़गार देने की भी व्यापक संभावनाएं हैं। यहां तक कि छोटे से छोटा उद्यम भी महान भारतीय उद्योग की गाथा को अग्रसर करने में जुटा है। अत: इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में स्वीकार किया जाता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र मंत्रालय ने इस क्षेत्र में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देकर और स्व-रोज़गार एवं रोज़गार सृजन के लिए अवसर तैयार करके इस क्षेत्र की उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु कई अनूठी पहलें की हैं। इस प्रकार मंत्रालय देश के समतुल्य सामाजिक अर्थक विकास में सहयोग दे रहा है।

भारत में रोज़गार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र की भूमिका

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग हमारे देश के समग्र औद्योगिक क्रिया कलापों में महत्वपूर्ण योगदान देकर रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने में महती भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में कार्यरत 7 करोड़ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग देश में लगभग 12 करोड़ से अधिक रोज़गार के अवसर विभिन्न क्षेत्रों में सृजित कर रहे हैं। स्व-रोज़गार एवं अन्य रोज़गार के अवसर सृजित करने की दिशा में यह क्षेत्र कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक अवसर उपलब्ध करवाता है। इसके अतिरिक्त एमएसएमई के लिए श्रमिक-पूंजी अनुपात भी अत्यधिक है।

लेखक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र मंत्रालय, भारत सरकार में सचिव हैं। ईमेल: secretary-msme@nic.in

ऐतिहासिक रूप से विकास प्रक्रिया में जन समूहों का कृषि क्षेत्र से निर्माण एवं सेवा क्षेत्र जैसी गैर-कृषि गतिविधियों में स्थानांतरण देखा गया यह प्रवृत्ति निर्माण एवं सेवा क्षेत्र को देश की उन्नति, विकास एवं रोज़गार कार्य सूची के लिए महत्वपूर्ण बना देती है। देश जहां अपनी जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ ही आने वाले समय में कार्य करने की आयु में भी अप्रत्यशित वृद्धि का साक्षी बन रहा है, वहीं इस श्रम शक्ति को आत्मसात करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी।

इस क्षेत्र में रोज़गार सृजन बढ़ाने के लिए मानव श्रम सम्पदा तैयार करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा, विशेषकर वे निर्माण उद्योग, जिनमें सर्वाधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है- जैसे कि परिवहन उपकरण और बिजली मशीनरी, लकड़ी, चमड़ा और चमड़े केउत्पाद, कागज, वस्त्र और हस्तशिल्प।

कार्यवाही हेतु कार्यसूची

एमएसएमई क्षेत्र अर्थव्यवस्था वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका कारण इस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर बहुविध प्रभाव डाल सकने की क्षमता का होना है। निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से कच्चा माल और सेवाएं लेकर बदले में उत्पादित सामग्री उपलब्ध करवाता है, इस प्रकार यह कच्चे माल से मध्यवर्ती उत्पाद सामग्री बना सकने की हर प्रकार की मांग को बढ़ावा देता रहता है। राष्ट्रीय निर्माण नीति (एनएमपी) के प्रावधानों के अनुसार निर्माण क्षेत्र में वर्ष 2022 तक 10 करोड़ लोगों को रोज़गार दिलवाने की क्षमता है। हालांकि ऐसा करने के लिए कुछ बदलाव लाने भी आवश्यक होंगे। रोज़गार के अवसरों में वृद्धि के सम्बन्ध में कुछ सुझाव इस प्रकार हैं :

(1) श्रम-प्रधान उद्योगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना (2) विद्यालयों, महाविद्यालयों (कॉलेजों), विश्वविद्यालयों में नवाचार प्रयोगशालाओं की स्थापना कर प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाना (3) सर्वश्रेष्ठ कार्यविधियों धव्यवहारों को अपना कर श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि करना (4) नियमित समय पर ऋण उपलब्धता को सुनिश्चित करना, एवं (5) अच्छे बाज़ार तक पहुंच को सुगम करना।

एमएसई के लिए बाज़ार तक पहुंच बढ़ाने एवं समाज के उपेक्षित वंचित वर्ग का उत्थान करने के उद्देश्य से सरकार की लोक क्रय नीति (पीपीपी) उद्यमिता के लिए अभियान चला रही है जिसमें एमएसई को बाज़ार पहुंच में वरीयता दी जाएगी। इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार केंद्र सरकार के लोक उद्यम, मंत्रालय एवं अन्य सरकारी विभाग अपनी समस्त खरीददारी का 20 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से करेंगें जिसमें से 4 प्रतिशत उद्यम अनुसूचित जाति धजनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों के होंगे।

सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न नीतिगत कदम एवं पहलें

इस क्षेत्र में विकास की व्यापक अंतर्निहित क्षमता होने के बावजूद कुछ बाधाएं एवं चुनौतियां ऐसी हैं जो इसकी उत्पादकता और विकास पर प्रभाव डालने के साथ ही देर सवेर रोज़गार अथवा स्व-रोज़गार को भी प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर उत्पादन लागत में बढ़ता पूंजी निवेश, प्रौद्योगिक परिवर्तन, कुशल श्रमिकों की मांग जैसे कारक पूरे परिवेश को प्रभावित करते हैं।

ध्यान केंद्रित दृष्टिकोण

भारत को रोज़गार मांगने वालों का देश बनाने के स्थान पर रोज़गार का सृजन करने वाला देश बनाने का संकल्प साकार करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने उद्यमिता को समर्थन देने की नीति पर ध्यान केंद्रित किया है। इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाकर वर्तमान बाधाओं को हटाने एवं क्षेत्र का पुनरुद्धार करने की आवश्यकता को सरकार स्वीकार करती है इसलिए रोज़गार के और अधिक अवसरों का सृजन कर रही है। अत: पूरे देश में क्षेत्र को अद्यतन करने एवं इसे विकसित करने की कई योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इनमें सरकार की कुछ फ्लैगशिप योजनाऐं जैसे- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना (पीएमईजीपी) तथा मुद्रा (एमयूडीआरए), परम्परागत उद्योगों को पुनर्जीवित करने हेतु कोष की योजना (एसएफयूआरटीआई)-एवं संकुल (क्लस्टर) विकास योजना शामिल हैं।

इसके अलावा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचलित खादी एवं ग्रामोद्योग (केवीवाई) और नारियल रेशा (कोएर) बोर्ड द्वारा संचालित रेशा (कोएर) उद्योग भी रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

बाज़ार तक पहुंच में बढ़ोत्तरी का अभियान

एमएसई के लिए बाज़ार तक पहुंच बढ़ाने एवं समाज के उपेक्षित वंचित वर्ग का उत्थान करने के उद्देश्य से सरकार की लोक क्रय नीति (पीपीपी) उद्यमिता के लिए अभियान चला रही है जिसमें एमएसई को बाज़ार पहुंच में वरीयता दी जाएगी। इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार केंद्र सरकार के लोक उद्यम, मंत्रालय एवं अन्य सरकारी विभाग अपनी समस्त खरीददारी का 20 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से करेंगें जिसमें से 4 प्रतिशत उद्यम

अनुसूचित जाति धजनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों के होंगे। मंत्रालय का एमएसएमई संबंध पोर्टल अनुसूचित जाति धजनजाति के उद्यमियों सहित अन्य सभी एमएसई को वस्तुओं और सेवाओं की खरीददारी में भाग लेने के लिए उनकी शेतकरके इस प्रकार रोज़गार सृजन को बढ़ावा दे रहा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की समस्याओं के समाधान एवं पीपीपी के निर्देशानुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रधानमंत्री ने अक्टूबर, 2016 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) की स्थापना की थी। इस हब का स्पष्ट उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों में उद्यमशीलता का संवर्धन करना है।

एमएसएमई मंत्रालय नियमित रूप से बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमशीलता विकास के कार्यक्रमों का संचालन करता है ताकि युवाओं को एमएसई स्थापित करने के लिए आवश्यक औद्योगिक गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देकर उनकी प्रतिभा का विकास किया जा सके। उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) का उद्देश्य संभावित उद्यमियों का कौशल विकास करना; प्रबंधन विकास कार्यकर्मों (एमडीपी) का उद्देश्य संभावित उद्यमियों की निर्णय लेने की क्षमता को सुधरने हेतु प्रबंधन व्यवहारों का प्रशिक्षण देना है।

एमएसएमई मंत्रालय नियमित रूप से बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा और उद्यमशीलता विकास के कार्यक्रमों का संचालन करता है ताकि युवाओं को एमएसई स्थापित करने के लिए आवश्यक औद्योगिक गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देकर उनकी प्रतिभा का विकास किया जा सके। उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) का उद्देश्य संभावित उद्यमियों का कौशल विकास करना; प्रबंधन विकास कार्यकर्मों (एमडीपी) का उद्देश्य संभावित उद्यमियों की निर्णय लेने की क्षमता को सुधरने हेतु प्रबंधन व्यवहारों का प्रशिक्षण देना है।

एमएसएमई मंत्रालय के अधीन एक लोक उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) एमएसएमई के लिए ऋण प्रवाह को सुगम बनाने, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर कच्चा माल उपलब्ध करवाने और उनके विकास हेतु प्रशिक्षण एवं उन्हें कार्यक्षम बनाने के कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और निर्माण क्षेत्र में रोज़गार सृजन को सुगम बना रहा है।

सही समय पर ऋण

सही समय पर ऋण मिलना उद्यमियों के लिए हमेशा ही एक चुनौती सिद्ध हुआ है। इसके निराकरण हेतु सरकार ने एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र की सहायता के उद्देश्य से कुछ अग्रगामी कदम उठाए हैं। जहां तक एमएसएमई मंत्रालय का संबंध है, पीएमईजीपी के अंतर्गत बजट आबंटन में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 के दौरान 48,398 सूक्ष्म इकाइयों को सहायता दी गई जिससे लगभग तीन लाख लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त हुए। वर्ष 2018-19 में लगभग 70,000 सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना का प्रावधान है ताकि लगभग पांच लाख लोगों को रोज़गार के अवसर मिल सकें। एमडीआई गुरुग्राम द्वारा हाल में ही पीएमईजीपी कीएक स्वतंत्र समीक्षा से पता चलता है कि इस फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंतर्गत पत्येक इकाई में मात्र 96,000 रु. प्रति व्यक्ति के पूंजी निवेश से 7.62 व्यक्तियों को रोज़गार मिला है।

मुद्रा

मुद्रा (एमयूडीआरए) वर्तमान सरकार की वह फ्लैगशिप योजना है जिसके अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम पारिस्थितिकी में अभूतपूर्व ऋण प्रवाह को सुगम बनाया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार 3 लाख करोड़ रूपये के ऋण प्रवाह का लक्ष्य रखा गया है और लगभग 5 करोड़ नए बैंक खातों को वित्त पोषित किया जाएगा। सरकार की इस पहल ने एमएसएमई पारिस्थितिकी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है और रोज़गार सृजन एवं उद्यमशीलता विकास में जबरदस्त योगदान दिया है।

ऋण गारंटी कोष

एमएसएमई क्षेत्र में सरकार का एक अन्य बड़ा कदम ऋण गारंटी कोष (सीजीटीएमएसई) को रु. 2500 करोड़ से बढ़ाकर रु. 8000 करोड़ करना है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में अभूतपूर्व ऋण प्रवाह को सुगम बनाने का प्रावधान है। इस संबंध में ऋण गारंटी पिछले कुछ वर्षों के रु. 19,000 करोड़ रु. 20,000 करोड़ से बढ़कर रु. 40,000 करोड़ को पार कर जाएगी।

मिशन सौर (सोलर) चरखा

एमएसएमई मंत्रालय ने एक नई योजना- मिशन सौर (सोलर) चरखा प्रारम्भ की है। इस पहल के अंतर्गत पहले चरण में 50 संकुलों (क्लस्टर्स) की स्थापना का प्रावधान किया गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग एक लाख लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे जिसमें अउपरोक्त पहलों एवं योजनाओं से उद्यमी बनने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे हरित उद्यमों की

स्थापना कर सकेंगे।

इन योजनाओं का एक विस्तृत सामाजिक पक्ष भी है क्योंकि इन योजनाओं को प्रमुख रूप से महिलाओं एवं समाज के उपेक्षित वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति धजनजाति समुदायों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया है। अधिकतर महिलाएं होंगी।

प्रोत्साहन

भारत सरकार द्वारा अपने विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों, विशेषकर एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के कारण इस क्षेत्र में पिछले चार वर्षों के दौरान बड़े व्यापक कदम उठाए गए हैं। वित्तीय संदर्भ में देखा जाए तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र को 2014 -18 की अवधि में किया गया बजटीय आबंटन वर्ष 2010-14 की अवधि में किएगए आबंटन से 41 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि में खादी एवं ग्रामोद्योग रोज़गार अवसरों के सृजन में सबसे आगे रहे। उन्होंने एक करोड़ 41 लाख लोगों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाए। सीजीटीएमएसई,पीएमईजीपी, एसएफयूआरटी ने क्रमशः 51.11 लाख, 14.78 लाख और 0.60 लाख रोज़गारों का सृजन किया।

ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि रोज़गार सृजन करते समय सामाजिक समावेशन पर भी अधिक जोर दिया गया है। पीएमईजीपीके अंतर्गत 30 प्रतिशत अर्थात 4.43 लाख लाभार्थी महिलाएं थी। साथ ही पिछले चार वर्षों के दौरान अनुसूचित जाएमएसएमई मंत्रालय के देशभर में 18 यंत्र कक्ष (टूल रूम) हैं। तथा 15 आधुनिकतम प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इससे और अधिक संख्या मैं उद्यमियों एवं रोज़गार प्राप्ति के इच्छुक लोगों को प्रशिक्षित करने में सहायता मिलेगी। वर्तमान में लगभग 1.5 लाख रोज़गार प्राप्ति के इच्छुक लोगों को इन 18 यंत्र कक्षों (टूल रूम्स) में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनमें से कुछ ने अपने उद्योग स्थापित कर लिए हैं लेकिन उनका एक बड़ा प्रतिशत रोज़गार प्राप्त कर चुका है। राष्ट्रपति ने हाल में ही "एमएसएमई सम्पर्क" पोर्टल की शुरुआत की है- यह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें रोज़गार प्रदाता बढ़ती हुई प्रशिक्षित प्रतिभाशाली श्रम शक्ति तक पंहुच कर उनको रोज़गार दे सकेंगे।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के पिछले सर्वेक्षण के अनुसार देश में लगभग 6.34 करोड़ एमएसएमई हैं। वे निरंतर औपचारिक अर्धव्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं और जीएसटी नेटवर्क में अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। जीएसटीएन में पंजीकृत अधिकांश इकाइयां एमएसएमई ही हैं। वे अपने समग्र विकास हेतु पूर्ण सहायता पाने के सर्वथा योग्य हैं। ऐसे सभी पहलों से भारत एक नई धरा की अर्थव्यवस्था का आरोही बन गया है क्योंकि उसने एमएसएमई की संभावनाओं को विकास और रोज़गार सृजन के नए इंजन के रूप में स्वीकार कर लिया है। एमएसएमई मंत्रालय गैर-कृषि क्षेत्र में नए अवसरों को हस्तगत करने और लाभकारी रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। इससे संभावनाओं से भरपूर एमएसएमई के लिए न केवल नए आयाम सृजित होंगे बल्कि यह भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और उसके समतुल्य विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। तियों और जनजातियों के क्रमशः 1.74 लाख और 1.31 लाख व्यक्तियों को को रोज़गार उपलब्ध करवाया गया। ❑

सफलता का उदाहरण

कायम हुआ कल्पना का स्वरोज़गार

अभिषेक त्रिवेदी के पास उद्यमिता संबंधी अच्छे कौशल हैं। कल्पना के पास कंप्यूटर पर फोटो संपादन व मिश्रण आदि का अच्छा ज्ञान और विशेषज्ञता है जबकि उनका पति शौक के रूप में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में दिलचस्पी लेते हैं। दोनों ने मिलकर अपनी-अपनी कुशलताओं के सहारे प्रिंटिंग, फोटो संपादन और डेटा संप्रेषण के काम आदि के लिए अपनी इकाई शुरू की। लेकिन उन्हें पर्याप्त आमदनी नहीं हो रही थी क्योंकि इन कामों के लिए उनकी इकाई में पर्याप्त उपकरण व अन्य साधन नहीं थे। दोनों चाहते थे कि उनके पास एक स्टूडियो होना चाहिए जहां सभी तरह के संपादन के लिए सॉफ्टवेयर और उपकरण हों।

जब पीएमएमवाई की घोषणा हुई तो कल्पना ने बैंक से संपर्क किया। बैंक शाखा के प्रबंधक ने मुद्रा लोन के बारे में जानकारी दी और उन्हें सभी जरूरी साधनों व उपकरणों के साथ अपना स्टूडियो और वीडियो लैब कायम करने के लिए नौ लाख रुपये कर्ज मुहैया कराया। आज दोनों कामयाब हैं। उन्हें अपने आसपास के क्षेत्रों से शादी और अन्य समारोहों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के अच्छे आर्डर मिल रहे हैं।

स्रोत : *मुद्रा पोर्टल* (www.mudra.org.in)